(24)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1110/1378/2018/20-3 भोपाल, दिनांक 27/07/2018

प्रति,

समस्त संस्था प्रमुख,
माध्यमिक / हाई / हायर सेकेण्डरी,
शासकीय / अशासकीय विधालय मध्यप्रदेश।

विषयः– रिट पिटीशन सिविल कमांक 943/2017 स्नेहा कालिता विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य

———

विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण ब्लू व्हेल गेम के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों में इस प्रकार के खतरनाक व जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले गेम के प्रति सजगता व जागरूकता उत्पन्न किए जाने के संबंध में है, ताकि बच्चे इस प्रकार के खतरनाक गेम / साईट के साथ न जुड़ सकें।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 (प्रति संलग्न है), में ब्लू व्हेल गेम के संबंध में सजगता बरतने / जागरूकता उत्पन्न करने के निर्देश दिये गये है। इस विषय में सीबीएसई द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित सीबीएसई स्कूलों को परिपत्र दिनांक 18.08.2017 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का एक भाग है जिसकी प्रति निर्णय के साथ संलग्न है।

3/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन हेतु सीबीएसई द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देशों का आपके विद्यालय में भी पालन किया जाए। अपेक्षा है कि आपके द्वारा विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं व्यावरथापकों में यह जागरूकता लाई जाए कि किस प्रकार ये गेम्स जाल में फसाकर जीवन को खतरा उत्पन्न करते है। मानव जीवन के अमूल्य होने और उसे ऐसी ही बर्बाद न करने का भी उन्हें संदेश दिया जाए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 1111/1378/2018/20-3 भोपाल, दिनांक 27/07/2018

प्रतिलिपः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
2 आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
3 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
4 समस्त कलेक्टर्स म.प्र.।
5 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।

(25)

6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
7. समस्त जिला परियोजना समन्वयक म.प्र.।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया समस्त विद्यालयों को उक्त निर्देश प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
8. गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग